

प्रजारक्षा १४० ग्रन्ति प्रति ३-३००४/७९



भारत का राजगान

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड III—टॉप—खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539]
No. 15391

मई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2007/अग्रहायण 22, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2007/AGRAHAYANA 22, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

मई १५३९, १३ दिसम्बर, २००७

सं.आ. 2125(अ)।—प्रधिकार, पर्यावरण (सुरक्षा) नियमबद्धी, १९८६ के नियम ५ के उप-नियम (3) के खण्ड (घ) के तहत इन शाठी, व्याराजागढ़ में उन गतिविधियों जिनके लिए कंक्षीय सरकार ने प्रशासनीय प्रतिवेदन के परिक्षण के लिए अनुमति दी है, क्षा छालका विधिवालीय प्रतिवेदन के लिए दिनांक १ प्रव्रदी, विधिवालीय प्रतिवेदन के लिए दिनांक १ प्रव्रदी, १९८७ के सं.का.प्र. १०२(अ) के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी:

श्री, प्रधिकार, इकल अधिसूचना में उद्घोगों को दीन विभिन्न अधिनियम, औरेज और ऐड में वर्गीकृत किया गया है और दूसरी शाठी अधिनियम, औरेज और ऐड में वर्गीकृत किया गया है और दूसरी शाठी अधिनियम को अनुमति देने और इस पर गतिविधि द्वारा लगानी के लिए दिशानियत मी विधानित किए गए हैं;

श्री, प्रधिकार, औरेज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उद्घोगों का भूत्याकृत राज्य के प्रत्युषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किया जाना चाहा इन्हें अनाधिकारी प्रयोग-पत्र देने से पहले संबोधित प्रत्यावर को कोन्क संकार, पर्यावरण एवं वन विभाग के पास भेजा जाना अपेक्षित है;

श्री, प्रधिकार, यह परिकल्पना की गई थी कि औरेज श्रेणी के अंतर्गत प्रत्यावरों की मामले में जरूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो इस दिनांक ३ जुलाई, २००५ के सं.आ. १४३(अ) के तहत जारी किया गया प्रत्यावरण प्रयोग मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत जारी है उस पर राज्य स्तर के विधायिकाओं द्वारा विधायिका अपनाई जाएगी;

श्री, प्रधिकार, दिनांक २७ जनवरी, १९९४ के सं.आ. ६०(अ) के तहत जारी उथापन प्रत्यावरण प्रयोग मूल्यांकन अधिसूचना को दिनांक

१४ सितम्बर, २००६ के सं.आ. १५३३(अ) के तहत जारी अधिसूचना द्वारा अधिकारियों द्वारा जारी जाएगा:

अतः, अधिकार, एवं प्रत्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, १९८६ की धारा ३ प्रदत्त प्रत्यावरणों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, यह निम्न दिन जल्ता है कि इन शाठी, उत्तराखण्ड में दिक्षात्त काये से हार्षभित सभी प्रशासनों को नियमित विधिवालीय प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश की जाएगी :

(i) एसी जारी परियोजनाएँ, जो १४ सितम्बर, २००६ के सं.सा.आ. १५३३(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रयोग मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत व्युत्पन्नी में शामिल जो गई हैं, वो तिए उक्त अधिसूचना द्वारा विधायिका ही अपनाई जाएंगी ;

(ii) एसी जारी परियोजनाएँ जो इकल पर्यावरण प्रयोग मूल्यांकन अधिसूचना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, और अंतेज श्रेणी के अंतर्गत जारी हैं उस पर राज्य स्तर के विधायिकाओं द्वारा विधायिका अपनाई जाएगी ;

(iii) उत्तराखण्ड राज्य के लिए गन्य स्तरीय प्रधान मूल्यांकन प्राधिकारण का गठन होने पर, प्रसादावों को जारी, सभी उत्पन्न नियन्त्रण बोर्ड की विधिवालीय गत्पा होने के परिवर्तन इन्हें भूमीकृत समिति के पास भेजे जाना, केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी :

[सं. अ-11013/25/2006-आर.ए. ११ (१)]

श. आमनदीमुखी, वैतानिक विधायिका

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the, 13th December, 2007
S.O. 2125(E).—Whereas, a notification under clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(10)]

2. Rules, 1986, imposing restrictions on various activities in Doon Valley Uttarakhand, except those activities which are permitted by the Central Government for examining the environmental impacts, was issued vide No. S.O. 102(E) dated the 1st February, 1989;

And, whereas, the said notification classified industries into three categories; namely, green, orange and red and also prescribed guidelines for permitting and restricting industrial units in Doon Valley Area;

And, whereas, industries falling in the orange category are required to be assessed by State Pollution Control Board and referred to the Central Government in Ministry of Environment and Forests before granting 'No Objection Certificate';

And, whereas, it was envisaged that the proposals covered under orange category shall follow the same procedure as is being followed for the environment clearance of industry sector projects under Environment Impact Assessment Notification, 1994, issued vide S.O. 943(E) dated the 4th July, 2005;

And, whereas, the said Environment Impact Assessment notification issued vide S.O. 60(E) dated the 27th January, 1994 has been superseded by the notification vide number S.O. 1533(E) dated 14th September, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, it is hereby directed that all proposals, relating to development in Doon Valley will be examined as per the following procedure :—

- (i) All those projects which are covered in the schedule under the Environment Impact Assessment notification issued vide number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 will follow the procedure laid down in that notification.
- (ii) All those projects which are not covered under the EIA notification but which fall under the orange category shall be considered by the State level Environment Impact Assessment Authority.
- (iii) Till such time as the State level Impact Assessment Authority is constituted for the State of Uttarakhand, the proposals will be examined by the Central Government, without referring them to the Appraisal Committee, after obtaining the comments of the State Pollution Control Board.

(No. I-IQ13/25/2005-IA-II(I))

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'